

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 4050/11-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 26, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को 132 के०बी० विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी० 38/81-2-2023-800(14)/2023, दिनांक 20.03.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-4303/मी०क्षे०/33, दिनांक 22.06.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की आपत्ति सं०-5 के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार के ऑनलाइन परिवेश 1.0 पर पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिस कारण से इस प्रस्ताव को परियोजना जांच समिति (PSC) में सम्मिलित किये जाने एवं अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त शेष आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-4303/मी०क्षे०/33, दिनांक 22.06.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 4050 /11-सी-FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट-सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।